मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

कमांक/एफ 1–14/002/2023/18–2/9802 **भोपाल, दिनांकः– 11/08/2023**

कार्यवाही विवरण

मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 26/07/2023 को सायं 03:30 बजे मुख्य सचिव, कार्यालय के प्रतिकक्ष, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल में राज्य गंगा समिति, मध्यप्रदेश की प्रथम बैठक आयोजित की गई। संलग्न सूची अनुसार बैठक में समिति के अध्यक्ष, सदस्य सचिव, सदस्य एवं प्रतिनिधि सम्मिलित हुये।

प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया।

एजेण्डा क्र.01–

राज्य गंगा समिति, मध्यप्रदेश से अवगत कराने के संबंध में।

राज्य गंगा समिति, मध्यप्रदेश का गठन 18 दिसम्बर 2017 को भारत सरकार के राजपत्र द्वारा किया गया है।

- बैठक में राज्य गंगा समिति के स्वरूप, दायित्व कार्यक्षेत्र के संबंध में अवगत कराया गया। मध्यप्रदेश में प्रवाहित होने वाली गंगा की सहायक नदियों के संबंध में विवरण दिया गया।
- मध्यप्रदेश के प्रमुख शहरों इंदौर, देवास, उज्जैन, नागदा एवं भोपाल शहर भी गंगा बेसिन का भाग है।
- प्रदेश में प्रवाहित गंगा की सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त किये जाने हेतु राज्य गंगा समिति मध्यप्रदेश की नोडल एजेंसी है।
- राज्य गंगा समिति, मध्यप्रदेश की बैठक भारत सरकार के नियमानुसार निर्धारित समयान्तराल में सुनिश्चित की जाये।

एजेण्डा क्र.02–

नमामि गंगे के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की अद्यतन स्थिति।

नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में कुल लागत राशि रू. 704.6 करोड़ की 5 परियोजनाएं स्वीकृत की गई है जिनमें से 3 परियोजनाओं का कार्य प्रगतिरत है तथा शेष 2 परियोजनाओं निविदा आमंत्रण की प्रकिया प्रचलन में है। जिनमें इन्दौर एवं उज्जैन शहर की परियोजनाएं नगरीय विकास एवं आवास विभाग के द्वारा कान्ह नदी एवं क्षिप्रा नदी के सीवरेज प्रदूषण निवारण के लिये स्वीकृत की जा गई है। सतना, मंदसौर एवं ग्वालियर शहर की परियोजनाएं क्रमशः

जल संसाधन विभाग, एप्को के परामर्श पर PWD तथा वाप्कोस लिमिटेड के द्वारा मंदाकिनी, शिवना एवं मुरार नदियों पर घाट निर्माण एवं शोधन का कार्य प्रचलित है। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश मे स्वीकृत परियोजनाओं हेतु 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता भारत सरकार द्वारा दी जावेगी। जिसमें 15 वर्षों का संचालन एवं संधारण कार्य भी शामिल है।

इंदौर शहर की परियोजना के द्वारा कुल 195 एमएलडी की शोधन क्षमता के एसटीपी द्वारा कान्ह एवं सरस्वती नदी में मिलने वाले सीवरेज को रोका जायेगा। इस योजना में 15 वर्षों के लिये संचालन एवं संधारण की राशि का व्ययन भारत सरकार द्वारा किया जायेगा। परियोजना की निविदा आमंत्रण की प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा। परियोजना की पूर्णता होने पर कान्ह एवं सरस्वती नदी के प्रदूषण में काँफी कमी होगी।

उज्जैन शहर की परियोजना के द्वारा पीलियाखाल एवं भैरवगढ़ नालो से क्षिप्रा नदी में मिलने वाले सीवरेज का शोधन 22 एमएलडी एवं 2.4 एमएलडी क्षमता के एसटीपी द्वारा किया जायेगा। इस योजना में 15 वर्षों के लिये संचालन एवं संधारण कार्य की राशि का व्ययन भारत सरकार द्वारा किया जायेगा। परियोजना के पूर्ण होने पर क्षिप्रा नदी का प्रदूषण कम करने में सहायक होगी।

चित्रकूट जिला सतना की परियोजना में मंदाकिनी नदी के किनारे घाट निर्माण का कार्य किया जा रहा है जिसके पूर्ण होने पर श्रृद्धालुओं को तीर्थ मेलों के समय स्नान करने में सुविधा होगी तथा नदी के कटाव को रोका जा सकेगा। यह परियोजना लागत राशि रू. 31.88 करोड़ की 12 माह में पूर्ण करने के लिये स्वीकृत की गई है जिसका कार्य 22/05/2023 से प्रारंभ हो चुका है। वर्तमान में परियोजना का कार्य प्रगति पर है जिसमें से 12 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

ग्वालियर शहर की परियोजना में मुरार नदी पर घाट निर्माण एवं सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। यह परियोजना लागत राशि रू. 39.24 करोड़ की 18 माह में पूर्ण करने के लिये स्वीकृत की गई है जिसका कार्य 10/01/2023 से प्रारंभ हो चुका है। वर्तमान में परियोजना का कार्य प्रगति पर है जिसमें से 16 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

मंदसौर शहर की परियोजना में शिवना नदी के प्रदूषण निवारण एवं घाट निर्माण का कार्य किया जा रहा है। यह परियोजना लागत राशि रू. 28.91 करोड़ की 18 माह में पूर्ण किये जाने हेतु स्वीकृत की गई है जिसका कार्य 04/03/2023 से प्रारंभ हो चुका है। वर्तमान में परियोजना का कार्य प्रगति पर है जिसमें से 10 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

समिति द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये गये है:–

- इंदौर शहर की परियोजना का कार्य शीघ्र निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य प्रारंभ किया जाये ताकि नदी में मिलने वाले सीवरेज का शोधन किया जा सके।
- उज्जैन शहर की परियोजना का मानक निविदा प्रपत्र भारत सरकार को प्रेषित कर अनुमोदन शीघ्र प्राप्त किया जाये।

- चित्रकूट जिला सतना की परियोजना के संचालन हेतु बैंक अकाउण्ट खोलने की प्रकिया शीघ्र पूर्ण की जाये तथा परियोजना की स्वीकृत अवधि में ही कार्य पूर्ण किया जाये। परियोजना की नियमित प्रगति से राज्य गंगा समिति को अवगत कराया जाये।
- ग्वालियर शहर की परियोजना वाप्कोस केन्द्रीय ऐजेंसी के द्वारा सीधे रूप से संचालित की जा रही है, इस कार्य के लिये नगर पालिक निगम ग्वालियर भी समन्वय स्थापित करे तथा राज्य गंगा समिति के नोडल विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के स्तर पर नियमित समीक्षा की जाये।
- मंदसौर शहर की परियोजना एप्को भोपाल को स्वीकृत की गई है जिसका कियान्वयन पीआईयू–पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जा रहा है। परियोजना का नियमित समीक्षा की जाये तथा राज्य गंगा समिति को नियमित प्रगति से अवगत कराया जाये।

<u>एजेण्डा क्र.03–</u>

समिति में नामित सदस्यों का कार्यकाल पूर्ण होने पर नये सदस्यों को नामित करने का अनुमोदन।

भारत सरकार के द्वारा गठित समिति में 5 नामित सदस्यों को 2 वर्ष की अवधि के लिये सम्मिलित किया गया है। जिनका कार्यकाल समिति के गठन से दिसम्बर 2019 में पूर्ण हो चुका है।

समिति का निर्णयः–

- 05 सदस्यों का नामांकन नदी संरक्षण तथा पुर्नरोद्धार के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रोफेसर, वैज्ञानिक, पर्यावरण विद् आदि शासकीय अथवा सेवानिवृत को शामिल किया जाये एवं प्रस्ताव ~~भारत~~ सरकार को प्रेषित किये जाये।

<u>एजेण्डा क्र.04–</u>

जिला गंगा समिति के गठन करने पर विचार।

भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 7 अक्टूबर 2016 के द्वारा गंगा व उसकी सहायक नदियों के जिलों में प्रदूषण निर्वारण हेतु जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जिला गंगा समिति गठन करने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के 34 जिले जो कि गंगा की सहायक नदियों के किनारे चिन्हित किये गये। जिनमें जिला गंगा समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है।

प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिले स्तर जिला पर्यावरण समिति पूर्व से ही गठित एवं संचालित है। प्रस्तावित है कि नवीन समिति गठन के स्थान पर पूर्व से गठित इस समिति द्वारा जिला गंगा समिति के उत्तरदायित्व का कियान्वयन किया जाये।

समिति का निर्णयः–

- मध्यप्रदेश में गंगा की सहायक नदियों के अंतर्गत आने वाले 34 जिलों में पृथक से जिला गंगा समिति का गठन किया जाये। जिला गंगा समिति के माध्यम से जिले की नदियों में प्रदूषण निवारण की कार्य योजना तैयार कर राज्य गंगा समिति को भारत सरकार से स्वीकृति के लिये प्रेषित की जाये।
- जिला गंगा समितियों द्वारा जिले में प्रवाहित नदियों का सूचीकरण किया जाये तथा उनके संरक्षण हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाये।

एजेण्डा क्र.05–

प्रदेश की प्रदूषित नदियों के पुनरोद्धार हेतु तैयार की गई कार्य योजनाओं की प्रगति की अद्यतन स्थिति।

एन.जी.टी. के प्रकरण संख्या 673/2018 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की प्रदूषित नदियों की पुर्नउद्धार की कार्ययोजना बनायी गयी है। जिसमें चंबल, कान्ह, क्षिप्रा, बेतवा, सोन, ताप्ती, बिछिया, चामला, कुण्डा, मंदाकिनी, नेवाज एवं पार्वती के प्रदूषित क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया। जिन्हें पुर्नउद्धार हेतु केटेगिरी 1 से लेकर 5 तक के आधार पर प्राथमिकता दी गई। नदियों के पुनरोद्धार की कार्ययोजनाओं की समीक्षा सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित सेन्ट्रल मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा प्रत्येक माह की जाती है। प्रदेश में कुल 19 नदी प्रदूषित क्षेत्र हैं जिनमें से 14 नदी प्रदूषित क्षेत्र गंगा की सहायक नदियों के हैं। इस संबंध में मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. के द्वारा गंगा की सहायक नदियों के किनारे के 20 शहरों में प्रदूषण निवारण के लिये लागत राशि रू. 2335.96 करोड़ की परियोजना के प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को दिनांक 12/05/2022 को प्रेषित की गई थी। जिसके क्रम में फिलहाल इंदौर एवं उज्जैन शहर की परियोजना स्वीकृत की गई है।

समिति का निर्णयः–

- समिति द्वारा प्रदेश में सभी प्रदूषित नदी क्षेत्र के प्रदूषण निवारण की कार्य योजना तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये है। जिसमें नदी के जल की गुणवत्ता के सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र को प्राथमिकता दिया जाये और जल की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप बनाये जाये।
- राज्य गंगा समिति की आगामी बैठक में प्रदूषित नदी क्षेत्रों की विस्तृत कार्य योजना के साथ प्रस्तुत किया जाये।
- नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश द्वारा भारत सरकार को प्रेषित प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु भारत सरकार को पुनः अनुरोध किया जाये।

एजेण्डा क्र.06–

यमुना बेसिन की मध्यप्रदेश में सहायक नदियों में वानिकीकरण हेतु तैयार डी.पी.आर. की प्रगति रिपोर्ट।

यमुना व उसकी की सहायक नदियों में वानिकीकरण करने हेतु भारत सरकार द्वारा डी.पी.आर. तैयार की गई थी जिसमें मध्यप्रदेश की 8 सहायक नदियों बेतवा, चम्बल, केन, गंभीर, गोधर, कालीसिंध, पार्वती आदि नदीयों को शामिल किया गया है। डी.पी.आर. में वानिकीकरण हेतु तीन मॉडल; नगरीय, कृषि एवं प्राकृतिक परिदृश्य दिये गये। डी.पी.आर. में 48048.60 हेक्टेयर में राशि रू. 542.23 करोड की लागत से वानिकीकरण का कार्य विभिन्न वन मण्डलो में करने का प्रस्ताव बनाया गया था। वन विभाग द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा इस कार्य के लिये कोई वित्तीय प्रावधान नहीं किया गया है। विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न मदों के माध्यम से लगभग 18 वन मण्डलों में वानिकीकरण का कार्य लगभग 7388.68 हेक्टेयर में लगभग 14,59,630 पौधारोपण का कार्य वर्ष 2022–23 तक किया गया है। आगामी वर्ष 2023–24 में 281 हेक्टेयर में लगभग 94,000 पौधे के लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

समिति का निर्णयः–

- प्रदेश में यमुना नदी की सहायक नदियों के किनारे वानिकीकरण हेतु वन विभाग द्वारा कैंपा, ग्रीन इंण्डिया मिशन, कृषि वानिकी, नगर वन तथा नमामि गंगे आदि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय स्वीकृति के लिये भारत सरकार को प्रस्ताव पत्र प्रेषित किया जाये।

एजेण्डा क्र.07–

मा.मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई घोषणा के कम में नमामि नर्मदे कार्यक्रम के अंतर्गत जबलपुर में Riverfront Development के प्रस्ताव पर विचार।

मा. मुख्यमंत्री जी के द्वारा नमामि नर्मदे कार्यक्रम प्रारंभ करने की घोषणा 26/01/2023 को की गई थी। इस परियोजना का अनुश्रमण भी राज्य गंगा समिति द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में कलेक्टर जबलपुर व स्मार्ट सिटी लिमिटेड, जबलपुर के माध्यम से जबलपुर शहर के नर्मदा नदी के किनारे नर्मदा पथ निर्माण, घाट निर्माण तथा नर्मदा कॉरिडोर निर्माण करने की योजना तैयार करने के लिये सलाहाकार नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त कार्य के लिये नगरीय प्रशासन एवं विकास को नोडल विभाग, एमपीयूडीसी भोपाल को नोडल एजेंसी तथा जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को कार्यदायी संस्था नामित किये जाना प्रस्तावित है। जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये जाने के लिये सलाहाकारी एजेंसी निर्धारण हेतु टेण्डर जारी किया गया है जिसमें साबरमती रिवर फ्रंट योजना तैयार

करने वाली एजेंसी मेसर्स. एच.सी.पी. डिजाईन प्लानिंग एण्ड मेनेजमैंट प्राय. लिमि. अहमदाबाद की निविदा प्राप्त हुई है। डीपीआर सलाहकारों के द्वारा परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु परियोजना की लागत राशि का 3 प्रतिशत भुगतान किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। चूंकि योजना की राशि के संबंध में स्पष्टता नहीं है अतः दर के निर्धारण में कठिनाई है।

उक्त परियोजनाओं के पर्यावरणीय पहलुओं के अध्ययन के लिये भारत सरकार की नीरी संस्थान, नागपुर के साथ अनुबंध संपादित किये जाने का प्रस्ताव दिया गया।

समिति का निर्णयः–

- परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराये जाने के लिये सलाहकार नियुक्त किये जाने हेतु Lump Sump आधार पर निविदा पुनः आमंत्रित की जाये।
- नगरीय प्रशासन एवं विकास को नोडल विभाग, एमपीयूडीसी भोपाल को नोडल एजेंसी तथा जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को कार्यदायी संस्था नामित किये जाने का अनुमोदन किया गया।
- पर्यावरणीय पहलुओं के अध्ययन के लिये भारत सरकार की नीरी संस्थान, नागपुर के साथ अनुबंध संपादित किये जाने की सहमति दी गई।
- नमामि नर्मदे कार्यक्रम की परियोजना का अनुश्रमण राज्य गंगा समिति के द्वारा किये जाने की सहमति प्रदान की गई।

<u>एजेण्डा क्र.08–</u>

राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत विभाग द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत कराने बावत्।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2019 में वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम शुरू किया गया। जिसकी अवधि वर्ष 2020–21 से वर्ष 2025–26 तक है। इसके तहत 2019 को आधार वर्ष मानते हुए वायु में मौजूद PM^{10} पार्टिकल्स को वर्ष 2025–26 तक 40% तक कम करने का 'अनुमानित राष्ट्रीय लक्ष्य' रखा गया है। इसमें मध्यप्रदेश के 7 शहर (भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, देवास एवं सागर) शामिल किए गए है। 15वे वित्त आयोग के अंतर्गत मिलियन प्लस शहरों (भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर) को वित्तीय वर्ष 2020–21 से वित्तीय वर्ष 2025–26 तक कुल राशि रू. 825 करोड़ के भुगतान परफार्मेस के आधार पर करने का प्रावधान किया गया हैं। वर्ष 2019 से 2022–23 तक कुल राशि रू. 599.4 करोड़ भारत सरकार से प्राप्त हुई जिसमें से अभी तक राशि रू. 507.1 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। उक्त परियोजना के अंतर्गत संबंधित

नगर पालिक निगम के द्वारा वायु प्रदूषण निवारण के लिये वृक्षारोपण, एन्टी डस्ट स्प्रे ट्रक एवं मशीने आदि की खरीद, सड़क के किनारे पाथवे का निर्माण आदि गतिविधियों का कार्य किया जाता है।

समिति का निर्णयः–

- नगरों में वायु प्रदूषण के निवारण हेतु नगर पालिक निगमों के माध्यम से की जा रही गतिविधियों का नियमित निगरानी एवं समीक्षा की जाये तथा प्रगति से समिति को अवगत कराया जाये।
- वायु प्रदूषण निवारण हेतु परियोजना का नगरीय निकायों में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये।

<u>एजेण्डा क्र.09–</u>

अध्यक्ष, राज्य गंगा समिति, मध्यप्रदेश की अनुमति से अन्य विषय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य गंगा समिति, मध्यप्रदेश की अनुमति से प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग एवं अध्यक्ष, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल द्वारा गंगा की सहायक नदियों के जल की गुणवत्ता एवं प्रदूषण नियंत्रण की स्वचलित रियल टाईम मॉनीटरिंग संयंत्र लगाये जाने के संबंध में राशि रू. 37.30 करोड़ की वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण किया गया। जिसका अनुमोदन समिति से कराते हुये राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, भारत सरकार को प्रेषित किये जाने का अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

समिति का निर्णयः–

- उक्त प्रस्ताव राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, भारत सरकार को प्रेषित किये जाने की सहमति प्रदान की गई।

8/8

(नीरज मण्डलोई)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

कमांक/एफ 1–14/002/2023/18–2/9803 भोपाल, दिनांकः– 11./08/2023

प्रति,

1. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, भारत सरकार।
3. अपर मुख्य सचिव, वित विभाग, मध्यप्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव एवं सदस्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्यप्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, मध्यप्रदेश शासन।
8. प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन।
9. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
10. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश।
11. प्रमुख अभियंता, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश।

वि.क.अ. सह आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

संलग्न सूची

राज्य गंगा समिति, मध्यप्रदेश की प्रथम बैठक में उपस्थित समिति अध्यक्ष, सचिव, सदस्य एवं प्रतिनिधियों की सूची:–

1.	श्री इकबाल सिंह बैस	मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन एवं अध्यक्ष राज्य गंगा समिति
2.	श्री अजीत केसरी	अपर मुख्य सचिव, वित विभाग, मध्यप्रदेश शासन एवं समिति सदस्य
3.	श्री नीरज मण्ड़लोई	प्रमुख सचिव एवं सदस्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्यप्रदेश शासन
4.	श्री संजय कुमार शुक्ला	प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन एवं समिति सदस्य
5.	श्री गुलशन बामरा	प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, मध्यप्रदेश शासन सह अध्यक्ष, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल एवं समिति सदस्य
6.	श्री भरत यादव	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश एवं समिति सदस्य
7.	श्री अतुल मिश्रा	सचिव, वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन
8.	श्री यू. के. सुबुद्धि	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन
9.	श्री वी एस टेकाम	उपसचिव, जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन
10.	श्री हंस कुमार जैन	प्रमुख अभियंता, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश
11.	श्री रवि चतुर्वेदी	कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश
12.	डॉ. सीताराम टैगोर	पर्यावरण विशेषज्ञ, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश
13.	श्री रोमिल जैन	वायु गुणवत्ता सुधार विशेषज्ञ, सलाहाकार, नगरीय प्रशासन एवं विकास